आदेश की क्र0स0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा गवही में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0– 95, प्लौट सं0– 311 कुल रकबा– 0.38 ए0 पर श्रीमति कवलपति देवी पति देवबली मांझी के द्वारा जोत–कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं0 162/2002–03 के अन्तर्गत दिनांक 12.07.2003 को मौजा गवही थाना सं0 477 के अंतर्गत उक्त खाता सं0 95, प्लॉट सं0– 311 रकबा 0.30 ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्रीमति कवलपति देवी पति देवबली मांझी के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा गवही के मांग पंजी II के पेज सं0 115/3 पर दर्ज होकर वर्ष 2015–16 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। उक्त अवैध जमाबंदी वाद सं0 23/2016–17 से बाहर किया जा सकता है।"

अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई....समाप्त.....की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

6/11/2024
अंचल अधिकारी,
मनातू।

6/11/2024
अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में,
अंचल अधिकारी
मनातू पलामू

विषय — संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी क्रमांक 23/2016-17 के जाँच प्रतिवेदन के संबंध में

महाशय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रतिवेदन समर्पित है संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी वाद सं० 23/2016-17 की जाँच करने स्थल पर संयुक्त रूप से अ०अमीन के साथ गया / स्थल पर पाया कि मौजा — गवही के खाता सं० 95 प्लॉट सं० 311 रकबा 30 डी भूमि पर श्रीमती कवलपती देवी पति देवली मांझी का दखल कब्जा है / कागजात का मांग करने पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर पलामू के द्वारा बंदोबस्ती वाद सं० 1/2/2002-03 का बंदोबस्ती पर्चा एवं रसीद का छाया दिया / मांगपंजी II को मिलान करने पर पाया कि मौजा गवही के मांगपंजी के पृष्ठ सं० 115/3 पर खाता सं० 95 प्लॉट सं० 311 रकबा 0.30 एकड़ भूमि पर कवलपती देवी पति देवली मांझी के नाम पर मांग कायम हो कर ~~रस~~ राजस्व रसीद निर्गत होता है स्थलीय कब्जा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत बंदोबस्ती पर्चा राजस्व रसीद को देखने से स्पष्ट होता है कि संदिग्ध संदेहास्पद मांगपंजी नहीं है अतः संदिग्ध संदेहास्पद जमाबंदी वाद सं० 23/2016-17 को संदिग्ध संदेहास्पद सूची से बाहर किया जा सकता है।

अ० अमीन मनातू
3/12/2024

3/12/24
R.S.I

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2024.12.17 12:16:10 +05:30
Location: 192.168.190.97